न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 122/2023
जीसीएमएस सं. – 2023/304

—:: वादी ::—
देवाराम चेला मोहनराम जाति रामस्नेही निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.।

बनाम

—:: प्रतिवादीगण ::—
1. आनन्दीराम पुत्र अमराराम
2. कानाराम पुत्र मांगीलाल
3. गोपाराम पुत्र मांगीलाल
4. पदमा पुत्री अमराराम
5. मुकेश पुत्र अमराराम
6. लोकेश पुत्र अमराराम
7. समुदेवी पत्नि अमराराम
8. सांवरराम पुत्र मांगीलाल जातियान माली निवासीगण चिमनाबाड़ी पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर राज.।
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :— 13.10.2023

उपस्थित अधिवक्ता :—

श्री पृथ्वीराज चौहान वादी की ओर से

श्री ऋषि टाक प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 27.12.2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद पत्र धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी हिन्दु धर्म के रामस्नेही सम्प्रदाय का अनुयायी है। वादी के प्राकृतिक पिता का नाम मांगीलाल है तथा बाल्य अवस्था में ही रामस्नेही सम्प्रदाय का अनुसरण करने के कारण अपने गुरू संत मोहनराम का शिष्य बन गया। वादी बाल्य अवस्था से ही संत मोहनराम के चेला के रूप में शिक्षा प्राप्त की है। उनके देहावसन बाद उत्तराधिकार के रूप में वादी संत मोहनराम का चेला की हैसियत से रामस्नेही सम्प्रदाय के विभिन्न सिद्धान्तों का आमजन में प्रचार प्रसार करता आ रहा है व अपने शिष्य धर्म का पालन कर रहा है। ग्राम पीपाड़ शहर पटवार क्षैत्र पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 2570 क्षैत्रफल 1.1569 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि आई हुई है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

जो खाता संख्या नया 51 व पूराना 57 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम देवाराम पुत्र मांगीलाल अंकित है जो कि वादी के प्राकृतिक पिता मांगीलाल जी होने से अंकित हो गया है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम देवाराम चेला मोहनराम है। वादी के आधार कार्ड, परिवारकार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड में वादी का सही नाम देवाराम पुत्र मोहनराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम देवाराम पुत्र मांगीलाल अंकित हो गया जिसको दुरूस्त करवानें का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 13.10.2023 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नही है इसलिए वादी का उक्त वाद वास्तें सही नाम देवाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर देवाराम चेला मोहनराम किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। इंस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है :– वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की घोषणा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षैत्र पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नबंर 2570 क्षैत्रफल 1.1569 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि आई हुई है जिसके राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम देवाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर देवाराम चेला मोहनराम घोषित किया जावे। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमावें।

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ऋषि टाक ने वकालतनामा व एडमिटेट जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 2570 रकबा 1.1569 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम देवाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान देवाराम चेला मोहनराम किया जाता है तो कोई आपति नही हैं।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए राजस्व ग्राम पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नबंर 2570 क्षैत्रफल 1.1569 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि आई हुई है जिसके राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम देवाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर देवाराम चेला मोहनराम घोषित किया जावे। अन्य

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

अनुतोष जो हित वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने एडमिटेट जवाब प्रस्तुत कर इस बाबत् अनापति जाहिर की हैं।

निर्णय

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 2570 रकबा 1.1569 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम देवाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर देवाराम पुत्र मांगीलाल चेला मोहनराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर